भारतीय खाद्य निगम द्वारा फर्मों को गेहूं तथा चावल का निर्यात हेतु आवंटन

741. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन फर्मों को चावल तथा गेहूं आवंटित किया गया है जो चावल तथा गेहूं का निर्यात करती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी कीमत क्या है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम से चावल तथा गेहूं की अधिप्राप्ति हेतु इन फर्मों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) गत वर्ष कितने लोगों ने गेहूं तथा चावल की अधिप्राप्ति हेतु आवेदन किया था तथा कितने व्यक्तियों के आवेदनों को स्वीकार किया जा सका?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के प्रयोजन से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त गेहूं और चावल का वर्ष-वार ब्यौरा और इसकी दरें निम्न प्रकार से हैं:—

(मात्रा लाख टन में)

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं*	चावल*
आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	—	0.11	6.19
तमिलनाडु	—	—	—	—	—	0.62
महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	2.23
गुजरात	—	—	0.34#	0.15#	0.70	5.07
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	0.36
बिहार	—	—	—	—	—	0.29
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	0.06

(सभी आंकड़े अनन्तिम हैं)

* - विभिन्न राज्यों में 1995-96 के दौरान गेहूं और चावल के जो मूल्य रहे उनकी जानकारी विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

\# - भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात के प्रयोजन से राज्य व्यापार निगम को गेहूं और चावल निर्मुक्त किए गए थे। गेहूं की दर 4350/-रु० प्रति टन से 4400/- रुपये प्रति टन के बीच थी और चावल की दर 6600/- रुपये प्रति टन थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात के प्रयोजन से सरकारी स्टाक से गेहूं और चावल की बिक्री करने की स्कीम अर्थात् निर्यात हेतु खुली बाजार बिक्री स्कीम वर्ष 1995-96 में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम ने प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर निर्यात के प्रयोजन से गेहूं और चावल की खरीद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। क्रेताओं को निर्यात के प्रयोजन से गेहूं और चावल की खरीद के लिए अपने आवेदन के साथ मूल-मूल्य की एक प्रतिशत राशि बयाना के रूप में जमा करनी थी। निर्यात के लिए आवेदनकर्ताओं को स्टाक निर्मुक्त करने, मूल्य और खुले बाजार में बिक्री की योजना से संबंधित अन्य विषय जुलाई, 1995 तक अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किए जा रहे थे जो अपेक्षित स्थानों पर खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा, मालगाड़ियों की उपलब्धता, निर्यात की समय-अनुसूची आदि पर निर्भर करते हैं। उसके बाद मूल्य और आवंटन सरकार की सहमति से निर्धारित किए

जाते थे। क्रेता को डिपुओं में उपलब्ध मौजूदा स्टाक में से स्टाक निर्मुक्त किया जाता था अथवा अधिशेष राज्य से केन्द्रों/पत्तन नगरों को स्टाक का संचलन किया जाता था।

(घ) चावल की खरीद के लिए 107 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 72 को भारतीय खाद्य निगम से चावल निर्मुक्त किया गया था। इसी प्रकार गेहूं की खरीद के लिए 101 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें 17 को भारतीय खाद्य निगम से गेहूं निर्मुक्त किया था।

विवरण

1995-96 के दौरान केन्द्रीय पूल से खुले बाजार में बिक्री योजना के अधीन निर्यात बिक्री के लिए गेहूं और चावल (बढ़िया और उत्तम) के मूल्यों को बताने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	गेहूं	चावल	
			बढ़िया	उत्तम
1.	पंजाब	रु० 4100 — 4458.45	6700 — 7694	7000 — 8029
2.	हरियाणा	रु० 4100 — 4458.45	6650 — 7619	6950 — 7975
3.	उत्तर प्रदेश	रु० 4100 — 4458.45	6500 — 7629	6800 — 7802
4.	दिल्ली	रु० 4150 — 4458.45	6400 — 7347	6700 — 7694
5.	हिमाचल प्रदेश	रु० 4150 — —	———	———
6.	जम्मू और कश्मीर	रु० 4150 — —	6500 — 7619	6800 — 7802
7.	राजस्थान	रु० 4150 — 4562.95	6500 — 7629	6800 — 7802
8.	मध्य प्रदेश	रु० 4100 — 4562.95	6300 — 7228	6600 — 7574
9.	बिहार	रु० 4300 — 4719.30	6300 — 7228	6600 — 7574
10.	उड़ीसा	रु० 4350 — 5136.50	6350 — 8968	6650 — 9303
11.	प० बंगाल	रु० 4350 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
12.	महाराष्ट्र	रु० 4350 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
13.	गुजरात	रु० 4350 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
14.	आंध्र प्रदेश	रु० 4550 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
15.	तमिलनाडु	रु० 4550 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
16.	कर्नाटक	रु० 4550 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303
17.	केरल	रु० 4550 — 5136.50	6300 — 8968	6600 — 9303

Supply of Coal to Thermal Power Plants in Punjab

742. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the supply of coal to the thermal power stations in Punjab is not sufficient to meet the requirement which has had an adverse bearing on the electricity production in the State; and

(b) if so, what steps Government would envisage to ensure normal supply of coal to the thermal power stations in the State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) Coal linkages to Thermal Power Stations in Punjab have been provided as per recommendations made by the Central Electricity Authority which are based on generation capacity agreed by the Punjab State Electricity Board (PSEB). Coal Companies would be able to meet the requirement of PSEB in full, subject to Railways moving the linked quantity and power stations impro-